

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह  
विशेष सचिव  
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
30प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 03 सितम्बर, 2015

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजनान्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-579/76/एक/2013-14 दिनांक 19 मई, 2015 एवं संख्या-2145/76/एक/2013-14 दिनांक 21 अगस्त, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से निदेशक, सूडा के निर्देश पर रखी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-सीतापुर की निकाय-खैराबाद की 42 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-246/26-ब0प्र0-14-36(आसरा-83)/2013 दिनांक 04.03.2014 द्वारा रु0 155.325 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना लागत का लगभग 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 77.66 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से निम्नलिखित तालिका से रुतम्भ-7 में अंकित धनराशि रु0 77.665 लाख (रुपये सतहत्तर लाख छ्छठ हजार पांच सौ मात्र) की द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल आवासीय लागत	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3		4	5	6
1	सीतापुर/खैराबाद	84	310.65	42	155.325	77.665
योग				42	155.325	77.665

(रुपये सतहत्तर लाख छ्छठ हजार पांच सौ मात्र)


1. उक्त धनराशि का व्यवसाय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
2. प्रशस्तगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका बण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/

जी.पी.एस. / श्री. राजेश / श्री. अशोक, सी-

3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सहजम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियाँ एवं पर्यावरणीय बिलयरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, माजवित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय दिल्लीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
6. सूझा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिचय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इन्हे सूझा/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय विहित समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाने समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय विहित समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. सूझा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय विहित समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय विहित समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सहजम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उपयुक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
10. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बालुकर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/टिपोजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।


13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का जिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करावेंगे।
15. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एमओओयू) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दूडा को निर्देशित किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एसओसीएसओपीओ/टीओएसओपीओ हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पटक योजना-03 आसरा योजना (आवासीय भवन)-24 वृद्ध निर्माण कार्य।" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भारतीय,  
  
 (एचओपीओ सिंह)  
 विशेष सचिव।

संख्या-116/2015/2016(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं इकाई), प्रथम, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, उधवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सीतापुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. समाज कल्याण (वजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
8. मुख्य घोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/वजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
  
 (एचओपीओ सिंह)  
 विशेष सचिव।